119

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक :– III / निग. / गुना / भू.रा / 2018 / 0942

अतुल गोयल पुत्र श्री रामजीलाल गोयल
निवासी लक्ष्मीगंज गुना जिला गुना म. प्र.
कृषक ग्राम लाड़पुरा तहसील राघौगढ़
जिला गुना म. प्र. —प्रार्थी

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलैक्टर जिला गुना
—प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27 / 07 / 2017 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला गुना म. प्र. प्रकरण क्रमांक 05 / 2013–14 / स्वमेव निगरानी उनमान मध्य प्रदेश शासन बनाम अतुल गोयल।

Abhishek 05-02-18 (अभिषेक भार्गव एड.)

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम लाड़पुरा तहसील राघौगढ़ जिला गुना मे स्थित भूमि सर्वे नम्बर 66 रकवा 0.658 हैक्टर के भूमि स्वामी नूर खाँ पुत्र जुम्मन खाँ निवासी लाड़पुरा थे, प्रार्थी ने नूर खाँ पुत्र जुम्मन खाँ उक्त रकवा मे से 0.627 हैक्टर भूमि दिनांक 20 / 05 / 1982 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन / निगरानी / गुना / भू.रा. / 2018 / 0942

अतुल गोयल विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 05 / 2013–14 / स्व.–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 19.6.19 (आर0के0 जैन) सदस्य	